



प्रकाशनार्थ

पटना, 6 जून। “बिहार को अपने विकास के एजेंडा पर कायम रहने के लिए 10 प्रतिशत की विकास दर जारी रखनी चाहिए।” यह बात भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉ. अरविंद सुब्रामनियन ने ‘भारत में राजकोषीय संघवाद हेतु विश्लेषणात्मक रूपरेखा’ विषय पर व्याख्यान देते हुए कही। व्याख्यान का आयोजन आर्थिक नीति एवं लोक वित्त केंद्र (सीईपीपीएफ), आद्री ने किया था।

डॉ. सुब्रामनियन ने कहा कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) राजनीति, प्रशासन और प्रौद्योगिकी का एक महत्वपूर्ण और क्रांतिकारी मॉडल है। जीएसटी मॉडल की प्रशंसा करते हुए उन्होंने यह भी जोड़ा कि इससे बिहार जैसे उपभोग करने वाले राज्यों को फायदा होगा। उनके अनुसार, भारत में राज्यस्तरीय प्रदर्शन को निम्नस्तरीय और उच्चस्तरीय साम्यावस्था में विभाजित किया जा सकता है और सामान्यतः तीसरी पांत (थर्ड टायर) की सरकार का प्रदर्शन निम्न दिखता है। इसका मुख्य कारण यह है कि जो सरकार जनता के जितना करीब होती है, वह करों में बृद्धि के प्रति उतना ही अनिच्छुक होती है। उन्होंने सुझाव दिया कि दूसरी और तीसरी पांत की सरकारों को निम्न साम्यावस्था के फंदे से बाहर आने के लिए बेहतर लोक सेवाएं प्रदान करने के जरिए अपना कर राजस्व बढ़ाना चाहिए।

राजकोषीय संघवाद के बारे में चर्चा करते हुए उन्होंने इस बात को प्रमुखता से सामने रखा कि राजकोषीय संघवाद के कामकाज को तीन आर निर्धारित करते हैं - रीडिस्ट्रीब्यूशन (पुनर्वितरण), रिस्क शेयरिंग (जोखिम में हिस्सेदारी) और रिवार्ड (पुरस्कार)। केंद्रीय अंतरणों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि सामान्य अंतरणों के साथ-साथ बाढ़ या सूखा जैसे झटकों के लिए विशेष अंतरण भी होने चाहिए। उन्होंने इस तथ्य पर बल दिया कि अंतरण झटकों का प्रभाव घटाने वाले (शॉक एंबॉर्डर) होने चाहिए और वित्त आयोग को कुछ रकम ऐसे झटकों के लिए भी अलग कर देनी चाहिए। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि दूसरी और तीसरी पांत वाली सरकारों को बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए और यह केंद्र द्वारा अनुरूपयोजी (मैचिंग) अनुदान के रूप में दिया जा सकता है।

बिहार के माननीय उप-मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी ने अपनी आर्थिक अभ्युक्ति में कहा कि राज्यों के बीच क्षेत्रीय विषमता क्रमशः बढ़ रही है। उदग्र प्रतिनिधान (वर्टिकल डिवॉल्यूशन) के बारे में चर्चा करते हुए उन्होंने उदाहरण दिया कि चौदहवें वित्त आयोग की अवधि में राज्यांश तो ग्यारहवें वित्त आयोग के 28.5 प्रतिशत से बढ़कर 42 प्रतिशत हो गया है लेकिन विभाज्य लाभ कोष (डिविजिबल पूल) में बिहार का हिस्सा ग्यारहवें वित्त आयोग की अवधि के 14.6 प्रतिशत से घटकर चौदहवें वित्त आयोग की अवधि में 9.66 प्रतिशत रह गया है। उन्होंने कहा कि बिहार अतीत के दिनों से ही स्थायी बंदोबस्ती, भाड़ा समानीकरण आदि समस्याओं का सामना करता रहा है। इसके साथ-साथ, राज्य जनसंख्या के दबाव से भी दबा है लेकिन इसके बावजूद इसने अच्छा प्रदर्शन किया है। वर्ष 2011 की जनसंख्या को लेकर दक्षिणी राज्यों की चिंता पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए माननीय उप-मुख्यमंत्री ने कहा कि चौदहवें वित्त आयोग की अनुशंसा में 2011 की जनसंख्या पहले ही जनसांख्यिक परिवर्तन के बतौर 10 प्रतिशत भार के साथ शामिल की जा चुकी है। इसलिए वित्त आयोग के लिए यह कोई नई धारणा नहीं है। उन्होंने यह भी जोड़ा कि बिहार हर दो साल पर बाढ़ के मनमौजीपन का शिकार होता है लेकिन बिहार को मात्र 2,591 करोड़ रु. दिए गए जबकि महाराष्ट्र को 8,095 करोड़ रु. और मध्य प्रदेश को 4,848 करोड़ रु. दिए गए। अंत में उन्होंने सुझाव दिया कि जीएसटी मॉडल, जिसमें राज्य और केंद्र अपनी संप्रभुता आत्मसमर्पित कर देते हैं, सहकारी संघवाद का आदर्श मॉडल है और वित्त आयोग द्वारा उसी को अपनाया जाना चाहिए।

सत्र का आरंभ करते हुए सीईपीपीएफ के निदेशक डॉ. शैबाल गुप्ता ने अपने स्वागत वक्तव्य में कहा कि भारत के संविधान ने राजकोषीय संघवाद के मुद्दे पर काम करने के लिए एक तंत्र तो उपलब्ध कराया है लेकिन संविधान ने इस चुनौतीपूर्ण अभ्यास के लिए कोई सैद्धांतिक रूपरेखा नहीं उपलब्ध कराई है। डॉ. सुब्रामनियन के अकादमिक योगदान की सराहना करते हुए डॉ. गुप्ता ने कहा कि ऐसी रूपरेखा के बारे में सुझाव देना डॉ. सुब्रामनियन जैसे विद्वानों का अलिखित दायित्व है।

आद्री के निदेशक प्रोफेसर प्रभात पी. घोष ने इस अवसर पर धन्यवाद ज्ञापन किया। इस अवसर पर वाणिज्य कर विभाग के अपर सचिव श्री अरुण कुमार मिश्र, वन एवं पर्यावरण विभाग के प्रधान सचिव श्री त्रिपुरारी शरण, वाणिज्य कर विभाग के अपर सचिव श्री ए.के. वर्मा, सेवानिवृत्त आइएफएस श्री दिलीप सिन्हा, श्री रामेश्वर सिंह, प्रोफेसर डॉली सिन्हा, प्रोफेसर डेजी बनर्जी, प्रोफेसर कुमुदिनी सिन्हा, डा. सुनीता लाल, डा. अस्मिता गुप्ता आदि भी उपस्थित थे। मुख्य आर्थिक सलाहकार द्वारा व्याख्यान के बाद हुए प्रश्नोत्तर सत्र के दौरान अर्थशास्त्रियों, बुद्धिजीवियों और प्रमुख अकादमिक संस्थानों के संकाय सदस्यों तथा विद्यार्थियों ने उनसे अपने प्रश्नों के उत्तर प्राप्त किए।


(अंजनी कुमार वर्मा)